

परिषद के मेरठ जोन के अन्तर्गत विभिन्न शहरों में आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी



आवंटन/नीलामी स्थल : सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, जागृति विहार, मेरठ

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (व०मी० में)	आरक्षण	भूमि दर (प्र०व०मी०)	आरक्षित मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
शाकुम्भरी विहार (मवीकला योजना संख्या-8), सहारनपुर : 67/162 सेमी फिनिशड उच्च आय वर्ग भवन (02 नग)					
3D-50	166.50	OBC	---	29.35	1.47
3D-61 (Corner)	191.48	Gen.	---	36.44	1.82
अशोक विहार योजना, खतौली : 80 वर्ग मीटर से बड़े आवासीय भूखण्ड (02 नग)					
B-128	295.22	अन्य पिछड़ा वर्ग	7840.00	23.15	1.16
B-145	246.67	सामान्य	7840.00	19.34	0.97
अशोक विहार योजना, खतौली : 53/127 प्रकार मध्यम आय वर्ग भवन (01 नग)					
D-128	127.50	सामान्य	---	15.50	0.78
चरण विहार योजना, बड़ौत : आवासीय भूखण्ड (09 नग)					
1A-370	42.21	सामान्य	16800.00	7.10	0.36
1A-371	30.15	अनुसूचित जाति	16800.00	5.07	0.26
1A-373	30.15	अनुसूचित जाति	16800.00	5.07	0.26
1A-374	30.15	अन्य पिछड़ा वर्ग	16800.00	5.07	0.26
1A-375	30.15	अन्य पिछड़ा वर्ग	16800.00	5.07	0.26
1A-380	30.15	सामान्य	16800.00	5.07	0.26
1A-381	30.15	सामान्य	16800.00	5.07	0.26
1A-382	45.56	सामान्य	16800.00	7.66	0.40
1A-383	63.84 Corner	सामान्य	18480.00	11.80	0.60
माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : 81 से 170 व०मी० तक भूखण्ड सेक्टर-2 व 4 (05 नग)					
4/537	102.72	सामान्य	13440.00	1380557	69028
4/538	101.67	सामान्य	13440.00	1366445	68322
4/539	100.62	अनुसूचित जाति	13440.00	1352333	67617
4/540	99.57	अन्य पिछड़ा वर्ग	13440.00	1338221	66911
4/541	98.52	अनुसूचित जाति	13440.00	1324109	66205
वसुंधरा योजना गाजियाबाद					
सम्पत्ति की संख्या	सम्पत्ति की श्रेणी	क्षेत्रफल (व०मी०)	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित मूल्य प्रीहोल्ड सहित (रु० में)	पंजीकरण/टोकन धनराशि (रु०)
16 बी / 233	एफ-60 (मूल)	138.05	सामान्य	7251500.00	362575.00
16 बी / 236	एफ-60 (मूल)	98.68	सामान्य	5349600.00	267480.00
16 बी / 237	एफ-60 (मूल)	98.68	सामान्य	5356000.00	267800.00
16 बी / 240	एफ-60 (मूल)	218.35	सामान्य	10985300.00	549265.00

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली गैर आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या एवं आरक्षण	क्षेत्रफल (व०मी०)	एफ. ए.आर.	अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज	अधिकतम ऊँचाई (मी० में)	आरक्षित भूमि दर (प्र.व.मी.)	आरक्षित मूल्य (लाख में)	टोकन मनी (रु० लाख में)
शाकुम्भरी विहार, सहारनपुर : होटल भूखण्ड (01 नग)							
2A/H-1 (सामान्य)	8088.40	1.50	40%	---	22916.00	2007.54	200.75
पठानपुरा योजना सं०-1 (विवेक नगर), सहारनपुर : दुकान (02 नग)							
S-19	9.62	---	---	---	---	12.08	1.21
S-20	14.196	---	---	---	---	18.16	1.82
पठानपुरा योजना सं०-5 (शहीद भगत सिंह नगर), सहारनपुर : व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग)							
CP-01 (नोट: एप्रोच हेतु कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं है।)	481.61	1.20	40%	---	44800.00	254.72	25.47
अशोक विहार योजना, खतौली : व्यवसायिक भूखण्ड (08 नग)							
B.Com-2 (OBC)	85.79	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	18745.00	16.09	1.61
B.Com-3 (Gen)	78.20	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	18745.00	14.66	1.47
B.Com-4 (Gen)	78.20	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	18745.00	14.66	1.47
B.Com-5 (Gen) Corner	88.32	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	20620.00	18.22	1.83
B.Com-6 (SC) Corner	154.95	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	20620.00	31.96	3.20
B.Com-7 (OBC)	128.92	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	18745.00	24.17	2.42
B.Com-8 (SC)	140.17	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	18745.00	26.28	2.63
B.Com-9 (Gen)	166.35	1.20	40%	उपविधि के अनुसार	18745.00	31.19	3.12

नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाने वाली गैर आवासीय सम्पत्तियों का विवरण

भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)	एफ. ए.आर.	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मी० में)	भूमिदर प्रीहोल्ड सहित प्र.व.मी.	आरक्षित मूल्य प्रति नग	टोकन मनी की धनराशि
शास्त्रीगर योजना संख्या-3, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड आई ब्लॉक (01 नग), एल ब्लॉक (02 नग) दुकानें डी एवं के ब्लॉक (29 नग)							
I.S.-116/2	128.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	10.50	42560.00	5447680	544768
CPL-1001 Corner	461.25	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	10.50	46816.00	21593880	2159388
CPL-1002	322.87	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	10.50	42560.00	13741347	1374135
D.S.-4,5,8	13.19	-----	-----	-----	-----	1835575	183557
D.S.-12	6.56	-----	-----	-----	-----	912917	91292
D.S.-14, 20, 24, 25, 26	13.19	-----	-----	-----	-----	1835575	183557
D.S.-27, 28	24.88	-----	-----	-----	-----	3462404	346240
D.S.-30, 31, 32, 33, 34, 35	24.13	-----	-----	-----	-----	3358030	335803
K-1	8.062	-----	-----	-----	-----	930216	93022
K-2, 3, 4, 10, 12, 15, 16	9.099	-----	-----	-----	-----	1049868	104987
K-17, 18, 22, 25	8.131	-----	-----	-----	-----	938177	93818

जागृति विहार योजना संख्या-6, मेरठ : दुकानें सेक्टर-3 (05 नग)

S-3/11, 3/12, 3/13, 3/15, 3/16	14.19	-----	-----	-----	-----	2163250	216325
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	--------

शास्त्रीगर योजना संख्या-7, मेरठ : व्यवसायिक भूखण्ड सेक्टर-3 (01 नग), सेक्टर-12 (02 नग)

3/Comm-A	1360.26	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	42560.00	57892666	5789267
423/12 (सामान्य)	452.40	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	42560.00	19254144	1925500
424/12 (सामान्य)	452.40	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	42560.00	19254144	1925500

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : हेल्थ सेक्टर भूखण्ड (01 नग)

सेक्टर-1 (कार्नेर)	8740.39	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	22176.00	193826889	19382689
--------------------	---------	------------------	------------------	------------------	----------	-----------	----------

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ : मल्टीप्लैक्स भूखण्ड (01 नग)

2/एम.पी.-1(कार्नेर)	7300.00	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	उपविधि के अनुसार	29568.00	215846400	21584640
---------------------	---------	------------------	------------------	------------------	----------	-----------	----------

भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व०मी०)	एफ. ए.आर.	अधिकतम ग्राउण्ड कवरेज	अधिकतम ऊँचाई	आरक्षित श्रेणी	आरक्षित दर (प्र.व.मी.)	टोकन मनी (सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत)
---------------	-------------------	-----------	-----------------------	--------------	----------------	------------------------	--

वसुंधरा योजना, गाजियाबाद : व्यवसायिक भूखण्ड (03 नग) संस्थागत भूखण्ड (05 नग)

4/कॉम-3 (व्यवसायिक)	3747.68	1.2	40%	उपविधि के अनुसार	सामान्य	103488.00	38784000.00
9/कॉम-1 (व्यवसायिक)	2569.05	1.2	40%	उपविधि के अनुसार	सामान्य	103488.00	26586600.00
15/सी०पी०-51 (व्यवसायिक)	31.83	1.2	40%	उपविधि के अनुसार	सामान्य	93632.00	298100.00
4/आई.एन.एस.-5 (C) संस्थागत	6584.33	1.5	35%	उपविधि के अनुसार	सामान्य	77616.00	51105000.00
4/आई.एन.एस.-6 (C) संस्थागत	4068.31	1.5	35%	उपविधि के अनुसार	सामान्य	77616.00	31576600.00
4/आई.एन.एस.-8 संस्थागत	1912.00	1.5	35%	उपविधि के अनुसार	सामान्य	70560.00	13491100.00
4/आई.एन.एस.-10 (C) संस्थागत	2828.60	1.5	35%	उपविधि के अनुसार	सामान्य	77616.00	21954500.00
4/आई.एन.एस.-12 संस्थागत	3657.50	1.5	35%	उपविधि के अनुसार	सामान्य	70560.00	25807400.00

होटल भूखण्ड (01 नग), सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड - लीज पर (01 नग), नर्सिंग होम भूखण्ड (01 नग), हेल्थ सेक्टर भूखण्ड (01 नग)

4/एच-1 (होटल)	3558.30	उपविधि के अनुसार	सामान्य	103488.00	36824200.00
सेक्टर-4 (सामुदायिक केन्द्र)	1038.00	उपविधि के अनुसार	सामान्य	50820.00	5275200.00
2ए/एनएच-2 (नर्सिंग होम)	1026.00	उपविधि के अनुसार	40	उपविधि के अनुसार	सामान्य 70560.00 7239500.00
सेक्टर-3 (हेल्थ सेक्टर)	5232.52	1.5	35	उपविधि के अनुसार	सामान्य 70224.00 36745000.00

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद : व्यवसायिक भूखण्ड (01 नग), नर्सिंग होम भूखण्ड (01 नग), सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड - लीज पर (01 नग)

9/कॉम-2 (व्यवसायिक)	461.18	1.2	40	उपविधि के अनुसार	सामान्य	80080.00	3693200.00
9/एन०एच०-01 (नर्सिंग होम)	3090.11	1.5	35	उपविधि के अनुसार	सामान्य	54600.00	16872000.00
सेक्टर-9 (सामुदायिक केन्द्र)	1986.26	1.5	40	उपविधि के अनुसार	सामान्य	39325.00	7811000.00

नियम व शर्तें : सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम व आदेशों के अनुरूप सम्पन्न की जायेगी। इच्छुक क्रेताओं को व्यवसायिक सम्पत्तियों के आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत एवं आवासीय सम्पत्ति के कुल मूल्य का 5 प्रतिशत टोकन धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा पे-ऑर्डर जो कि "उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद" के पक्ष में देय हो, आवेदन फार्म भरकर खुली नीलामी में भाग ले सकते हैं। सील विड कार्यालय कार्यदिवस में नीलामी से पूर्व दिनांक 22.12.2014 तक सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में दी जा सकती है। टोकन दिनांक 23.12.2014 को प्रातः 10:00 बजे से नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व तक निर्गत किये जायेंगे। व्यवसायिक भूखण्डों में एफ०ए०आर०, ग्राउण्ड कवरेज, अधिकतम ऊँचाई आदि की जानकारी सम्बन्धित वास्तुविद नियोजक इकाई-1, वसुंधरा, गाजियाबाद से प्राप्त की जा सकती है। संस्थागत भूखण्डों की नीलामी में केवल संस्थाओं द्वारा ही प्रतिभाग किया जा सकता है। सम्पत्तियों की संख्या/क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है।

विज्ञापन व्यय प्राप्त उच्चतम बोली का 0.25 प्रतिशत अलग से लिया जायेगा। सम्पत्ति का कब्जा 50 प्रतिशत धनराशि जमा होने के उपरान्त शासनादेश के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी जमा करने पर पंजीकृत अनुबन्ध के माध्यम से दिया जायेगा। नीलामी पुस्तिका रु. 100.00 का भुगतान कर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, सेक्टर-16ए, वसुंधरा काम्प्लेक्स, हाल एस-1, गाजियाबाद से प्राप्त कर सकते हैं। आवास आयुक्त महोदय को बिना कोई कारण बताये बोली अस्वीकृत करने का अधिकार होगा एवं किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त (मा०) का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट : (C) का आशय कार्नेर स्थित सम्पत्ति से है।

बदले/दुकानें (विस्थापित): वसुंधरा योजना गाजियाबाद में विस्थापित श्रेणी में दुकानों हेतु पंजीकृत आवेदकों के मध्य सहमति के आधार पर लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन उपरोक्त दिनांक एवं स्थल पर किया जायेगा। आवंटन में राजस्व गाँव के पंजीकृत व्यक्तियों को वरीयता देते हुए आवंटन किया जायेगा। विस्थापित पंजीकृत आवेदक, जो सम्पत्ति लेने के इच्छुक हो, अपनी सहमति दिनांक 20.12.2014 तक सम्पत्ति कार्यालय, गाजियाबाद में दे सकते हैं। सहमति-पत्र कार्यालय से प्राप्त कर उक्त दिनांक तक लिखित सहमति प्राप्त करा सकते हैं। परिषद द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार दुकानों का आवंटन मूल मूल्यांकन की पद्धति (दुकानों का निर्माण मूल्य स्वीकृत मूल्यांकन के अनुसार व वर्तमान भूमि दर लेकर) के अनुसार आवंटित की जायेगी।

नोट: 1) सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद स्थित गंगा, यमुना एवं हिण्डन अपार्टमेंट में एक ही फ्लैट से परिवर्तन हेतु प्राप्त एक से अधिक आवेदन का निस्तारण लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

2) मण्डोला योजना गाजियाबाद स्थित आसरा एवं सपना प्रथम चरण के अन्तर्गत ऐसे अवशेष आवेदक, जिन्हें किसी कारणवश दिनांक 16.07.2014 से 19.07.2014 के मध्य नम्बरिंग ड्रा में शामिल नहीं किया जा सका था, का आवंटन किया जायेगा।

3) सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद के गंगा, यमुना एवं हिण्डन अपार्टमेंट योजना में दिनांक 01.09.2014 से दिनांक 30.10.2014 तक पंजीकृत आवेदकों को मांग पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं, जिसमें प्रथम किरात 31.12.2014 तक भुगतान की जानी है। जिन आवेदकों को मांग पत्र प्राप्त न हुआ हो, वे किसी भी कार्यदिवस में पंजीकरण की मूल चालान की प्रति/फोटो आई०डी० दिखाकर कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

4) वसुंधरा योजना के सेक्टर-16 ए में नवसृजित 07 नग आवासीय भूखण्डों का आरक्षण किया जायेगा।

शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर में शिक्षण संस्था के भूखण्ड का विवरण

स्कूल का स्तर	आरक्षण	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	वर्तमान आरक्षित भूमि दर (प्र०व०मी०)	स्कूल भूखण्ड का कुल मूल्य (रु० लाख में)	पंजीकरण धनराशि कुल मूल्य का 10 प्रतिशत (रु० लाख में)
प्राइमरी स्कूल भूखण्ड	सामान्य	1844.94	13310.00	245.57	24.56

माधवपुरम योजना संख्या-10, मेरठ में रिक्त शैक्षणिक भूखण्डों का विवरण

सेक्टर/भूखण्ड सं०	स्कूल भूखण्ड का स्तर	क्षेत्रफल व० मी०	वर्तमान भूमि दर + लीजरेन्ट + कार्नेर शुल्क (कार्नेर की स्थिति में) प्र०व०मी०	भूखण्ड का मूल्य	पंजीकरण धनराशि (रु० लाख में)
3NS-1 (Sec-3)	प्राइमरी	1691.70	12000+1200+1200=14400/-	24360480	2436048
3NS-3 (Sec-3)	नर्सरी	894.00	12000+1200+1200=14400/-	12873600	1287360
(Sec-4)	प्राइमरी	1575.00	12000+1200+1200=14400/-	22680000	2268000

नियम व शर्तें : तालिका में उल्लिखित मूल्य पंजीकरण धनराशि के निर्धारण हेतु हैं। आवंटन तिथि/आवंटन पत्र निर्गत तिथि पर लागू भूमि दर के अनुसार विद्यालय को भूखण्ड का मूल्य देना होगा। उक्त आरक्षित भूमि दर में 10 प्रतिशत लीज रेन्ट व 10 प्रतिशत कार्नेर शुल्क शामिल है। शैक्षणिक भूखण्ड हेतु रु. 1000/- कार्यालय में नगद जमा करके पुस्तिका प्राप्त कर दिनांक 10.12.2014 से दिनांक 09.01.2015 तक, पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र के साथ रु. 5000/- का बैंक ड्राफ्ट सहित आवश्यक प्रपत्रों के साथ निर्धारित तिथि तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं शाट लिस्टिंग के उपरान्त वैध/पात्र आवेदक संस्थाओं को आगामी निर्धारित तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा। पात्र आवेदकों को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पंजीकृत डाक द्वारा सूचना, नीलामी तिथि निर्धारित होने पर, सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा दी जायेगी। प्राप्त उच्चतम बोली पर परिषद मुख्यालय द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

आवास आयुक्त